



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1938 (श०)

(सं० पटना 1061) पटना, शुक्रवार, 16 दिसम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

16 दिसम्बर 2016

सं० एल०जी०-०१-२३/२०१६/२२८लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उच्चव्वल कुमार दुबे

सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 22, 2016 ]

**बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016**

बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा 5(2)(क) का संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। —(1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार वित्त अधिनियम, 2014 की धारा—5 में संशोधन। —बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा—5 (2) (क) में प्रयुक्त शब्द "सभी परिवहन वाहनों" के बाद कोष्ठक अंक एवं शब्द "[धारा—5 (2) (ख) द्वारा अच्छादित के अतिरिक्त]" जोड़े जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उच्चल कुमार दुबे

सरकार के प्रभारी सचिव।

16 दिसम्बर 2016

सं0 एल0जी0-01-23/2016/229/लेज़:-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 को अनुमत बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उच्चल कुमार दुबे

सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 22, 2016]

**BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2016**

AN

ACT

**TO AMEND IN SECTION-5 (2)(A) OF THE BIHAR FINANCE ACT, 2014**

**(BIHAR ACT 15, 2014).**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) The Act may be called the Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Section- 5 of Bihar Finance Act, 2014** - The brackets figures and the words "[other than those covered by section- 5 (2) (b)]" shall be added after the words "all Transport Vehicles" used in section- 5(2) (a) of the Bihar finance Act, 2014.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उच्चल कुमार दुबे

सरकार के प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1061-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>